# न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

**विविध बैंक प्रकरण संख्या 202/2024(GCMS : 2024/291)**

**ICICI Bank Limited Registerd Office Address** : ICICI Bank Limited, ICICI Bank Tower, Near Chakli Circle, Old Padra Road, Vadodara, Gujrat-390007 **Corporate Office Address** : ICICI Bank Limited, ICICI Bank Tower, Bandra Kurla Complex, Mumbai, Maharashtra-400051, **Branch Office Address** : ICICI Bank Limited, 361 Hotel M.C. International, The Mall Branch, Amritsar, Punjab-143001 & **Jaipur Regional Office Address:** ICICI Bank Limited, JSEL Building, Malviya Nagar, JLN Marg, Jaipur, Rajasthan

**बनाम**

1. **M/s Punjab Fuels Represented by it's Proprietor Mr. Ram Narain Gupta, Address1:** E-295, Phase 2, Udhoy Vihar, Sriganganagar, Rajasthan – 335001 **Address2** : 43, Jawahar Market, Shahkot, Jalandhar, Punjab-144702
2. **Goldi Gupta Address1:** 43, Jawahar Market, Shahkot, Jalandhar, Punjab-144702 **Address2** :E-295, Phase 2, Udhoy Vihar, Sriganganagar, Rajasthan – 335001
3. **Mr. Ram Narain Gupta** S/o Mr. Yashpal Gupta **Address1:** 43, Jawahar Market, Shahkot, Jalandhar, Punjab-144702 **Address2** :E-295, Phase 2, Udhoy Vihar, Sriganganagar, Rajasthan – 335001

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**16.01.2025**

**पत्रावली पेश हुई।** प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री दलीप गोदारा एवं कमल जोशी ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 11.12.2024 प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण मैसर्स पंजाब फ्यूल – प्रो. राम नारायण गुप्ता, गोल्डी गुप्ता एवं रामानारायण गुप्ता को ऋण सुविधा के रूप में 75,81,909/– रूपये ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 29.05.2023 को प्रदान की थी। अप्रार्थीगण [illegible] में दिनांक 02.05.2024 को 85,34,358/– रूपये की [illegible] ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी मैसार्स पंजाब फ्यूल – [illegible] रामनारायण गुप्ता [illegible] बंधक रखी अपनी अचल औद्योगिक सम्पत्ति भूखण्ड संख्या ई–295, औद्योगिक क्षेत्र,**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:41:01 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

**उद्योग विहार, द्वितीय चरण, रीको, श्रीगंगानगर राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा सम्मिलित है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 3544.00 वर्ग मीटर है। (उक्त सम्पत्ति की चारों सीमाएं : उत्तर में – भूखण्ड संख्या ई–294, दक्षिण में – भूखण्ड संख्या ई–296, पूर्व में – जी1 टाईप प्लॉट्स, पश्चिम में – 30 मीटर चौड़ी सड़क),** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

**मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14,** शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण मैसर्स पंजाब फ्यूल, गोल्डी गुप्ता एवं रामनारायण गुप्ता** को ऋण सुविधा के रूप में 60.00 लाख Over draft एवं 15,81,909/– ECLGS, **कुल 75,81,909/–** रूपये **(अखरे रूपये पच्चहत्तर लाख इक्यासी हजार नो सौ नो मात्र) की स्वीकृति दिनांक 29.05.2013 को प्रदान की थी और** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी मैसर्स पंजाब फ्यूल–प्रो. रामनारायण गुप्ता ने अपनी **अचल औद्योगिक सम्पत्ति भूखण्ड संख्या ई–295, औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग विहार, द्वितीय चरण, रीको, श्रीगंगानगर राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा सम्मिलित है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 3544.00 वर्ग मीटर है। (उक्त सम्पत्ति की चारों सीमाएं : उत्तर में – भूखण्ड संख्या ई–294, दक्षिण में – भूखण्ड संख्या ई–296, पूर्व में – जी1 टाईप प्लॉट्स, पश्चिम में – 30 मीटर चौड़ी सड़क),** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत बही एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 22.09.2022 को अनर्जक परिसम्पत्ति

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:41:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

(एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस स्वयं पर तामील न होकर, किसी विशाल नाम के व्यक्ति पर तामील हुए है, जो विधिक रूप से तामील होना नहीं माना जा सकता है।

**वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।**

जहां तक ऋण की एवज में **अप्रार्थी मैसर्स पंजाब फ्यूल–प्रो. रामनारायण गुप्ता की अचल औद्योगिक सम्पत्ति भूखण्ड संख्या ई–295, औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग विहार, द्वितीय चरण, रीको, श्रीगंगानगर राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा सम्मिलित है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 3544.00 वर्ग मीटर है। (उक्त सम्पत्ति की चारों सीमाएं : उत्तर में – भूखण्ड संख्या ई–294, दक्षिण में – भूखण्ड संख्या ई–296, पूर्व में – जी1 टाईप प्लॉट्स, पश्चिम में – 30 मीटर चौड़ी सड़क),** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार में श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:41:01 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

**जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी** नोटिस 31.05.2024 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 31.05.2024 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अ**प्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 04.06.2024 को भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति की रसीद भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को 13(2) के नोटिस विधिक रूप से प्राप्त नहीं हुए है। इसलिए प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) के नोटिस अप्रार्थीगण की सम्पत्ति पर चस्पा कर दो समाचार पत्रों इकॉनोमिक्स टाईम्स एवं प्रातःकाल में दिनांक 01.07.2024 को प्रकाशित करवाये है, जिसके अनुसार** अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी मैसर्स पंजाब फ्यूल—प्रो. रामनारायण गुप्ता द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

**अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लि. का उक्त प्रार्थना पत्र** वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी मैसर्स पंजाब फ्यूल—प्रो. रामनारायण गुप्ता **द्वारा प्रार्थी बैंक/ कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल औद्यो[illegible]पत्ति भूखण्ड संख्या ई—295, औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग विहार, द्वितीय [illegible] रीको, श्रीगंगानगर राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढां[illegible] सम्मिलित है, जो सभी सम्पत्ति**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:41:01 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

**के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 3544.00 वर्ग मीटर है। (उक्त सम्पत्ति की चारों सीमाएं : उत्तर में – भूखण्ड संख्या ई–294, दक्षिण में – भूखण्ड संख्या ई–296, पूर्व में – जी1 टाईप प्लॉट्स, पश्चिम में – 30 मीटर चौड़ी सड़क), का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

**यह आदेश आज दिनांक 16.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

Manju

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:41:01 IST
Reason: SelfAttested